



गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय  
(भारत की संसद के अधिनियम सं. 25, 2009 के तहत स्थापित)  
**CENTRAL UNIVERSITY OF GUJARAT**  
(Established by an Act of Parliament of India, No 25 of 2009)

प्रो. मनीष  
कुलसचिव (प्रभारी)

By Speed Post/By Email/By Hand

F.No.55-102/2021-22/A&A/1000


दिनांक:23.01.2023

सेवा में,  
प्रो. प्रकाश झा  
अधिष्ठाता  
अनुप्रयुक्त पदार्थ विज्ञान संस्थान  
गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय

विषय: विशिष्ट व्याख्यान आयोजित करने की स्वीकृति प्रदान करने के संदर्भ में।  
संदर्भ: माननीय कुलपति द्वारा दिनांक 19.01.2023 को अनुमोदित।

प्रो. प्रकाश झा,  
उपरोक्त वर्णित विषय पर दिनांक 11.01.2023 के आपके पत्र के संदर्भ में, यह सूचित किया जाता है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा आपको 27 जनवरी 2023 को विशेषज्ञ व्याख्यान आयोजित करने हेतु अनुमति प्रदान कर दी गई है। यह व्याख्यान प्रसिद्ध वैज्ञानिकों डॉ. डी. मोहपात्रा और डॉ. एस. पी. सिंह, भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान (IICT), हैदराबाद द्वारा दिया जाएगा। साथ ही, सभी व्यय सहित विश्वविद्यालय के नियमानुसार मानदेय के लिए 12,000/-रुपए की धनराशि भी स्वीकृति प्रदान की गई है। यह पत्र आपकी जानकारी और आगे की आवश्यक कार्रवाई हेतु है।

सादर,

  
कुलसचिव (प्रभारी)

प्रति (ईमेल द्वारा):

1. उप कुलसचिव (अकादमिक)
2. सहायक कुलसचिव (अकादमिक)
3. प्रशासनिक एवं प्राधिकारी अनुभाग
4. कुलपति सचिवालय

